संख्या-122/2015/1927/41-2015-16 यो0/2014

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 20 अगस्त, 2015

विषय- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद के अयोध्या में राम की पैडी पम्प हाउस न0-1 से लक्ष्मण घाट होते हुये गोलाघाट तक परिक्रमा मार्ग के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-2153/6-1-1 (395)/फैजाबाद घोषणा/2015, दिनॉक 13-03-201 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद के अयोध्या में राम की पैडी पम्प हाउस न0-1 से लक्ष्मण घाट होते हुये गोलाघाट तक परिक्रमा मार्ग के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन द्वारा गठित आगणन के आधार पर योजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति धनराशि रू0 145.58 लाख के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 45.41 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 72/2015/678/41-2015-16 यो0/2014, दिनांक 29.03.2015 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फैजाबाद के अयोध्या में राम की पैडी पम्प हाउस न0-1 से लक्ष्मण घाट होते हुये गोलाघाट तक परिक्रमा मार्ग के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं -

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि की आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
3. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. यह सुनिश्चत किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।
5. निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व कार्यस्थल का फोटोग्राफ्स तथा कराये गये कार्यों की फोटोग्राफी तत्काल उपलब्ध करायी जाय, जिससे कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सके।
6. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-पर्यटन अवसंरचना-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-21-अयोध्या के पर्यटन विकास की योजना-24-वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-122/2015/1927(1)/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लखनऊ।
6- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, फैजाबाद।
7- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in